तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या 29/2026 रे0फो0 **राजस्थान राज्य बनाम उदयलाल** **1**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

दिनांक : 27.02.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त **उदयलाल व देउबाई** मय अधिवक्ता **श्री मदनलाल टांक** उपस्थित।

अभियुक्त **अर्जुनलाल** अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री मदनलाल** उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया।

पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह किशनसिंह का जमानती वारंट बाद तामील व गवाह रविन्द्रसिंह का जमानती वारंट ईमेल के पृष्ठांकन की सूचना के साथ एवं गवाह हरिराम का जमानती वारंट अदम तामील प्राप्त हुआ।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह रविन्द्रसिंह पीडब्ल्यू 13 के बयान लेखबद्ध किए गए, अन्य कोई गवाह उपस्थित नहीं।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 08 हरिराम, गवाह संख्या 13 किशनसिंह को जरिये जमानती वारंट 5,000/— रुपये से तलब किया जावें।

गवाहान को जारी वारंट पर प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस होने पर अंतिम गवाह शेष होने आवश्यक रूप से तामील का लालस्याही से नोट अंकित किया जावें।

गवाहान की तामील की प्रति एसपी राजसमंद को प्रेषित की जावें एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को नोटेड करवाया जावें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 11.03.2026 को पेश हो।